अपील सूचना अधिकार संख्या 45/2019 (GCMS 2019/00143) भूप सिंह पुत्र हरिशचन्द्र बिश्नोई निवासी राज. फोटो स्टेट तहसील कार्यालय के सामने तहसील घड़साना (मो. 94145-15521) <u>बनाम</u> विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>04.01.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी भूप सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने दिनांक 25.04.2019 को लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के नाम से आवेदन प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो उन्होनें अपने पत्रांक आरटीआई प्रकोष्ठ/2019/302 दिनांक 02.05.2019 से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ को स्थानान्तरित कर दिया और अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका अनूपगढ ने पत्र का सम्बन्ध ग्राम पंचायत/पंचायत समिति, घड़साना से होने के कारण अपने पत्रांक न.पा.अ./विविध(128)/2019–20 दिनांक 22.05.2019 से मूल पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना को स्थानान्तरित कर दिया किन्तु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना ने अपीलार्थी को निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी पर सिविल सेवा नियमों के तहत कार्यवाही करने एवं शास्ति अरोपित करने और उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी भूप सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घडसाना से निम्न सूचना चाही थी:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:35 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी ... घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) द्वारा ... हेतु दिनांक 15.0... को निविदा आमन्त्रित की गई एवं आवेदक की निविदा स्वीकृत कर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

संलग्न आदेश एवं रसीदों के सन्दर्भित नगरपालिका घड़साना द्वारा दिनांक 29.05.2009 को आदेश क्रमांक 116 द्वारा दिनांक 01.06.2009 से कार्यादेश आवेदक को जारी हुए। उक्त कार्यादेश के संदर्भ में आवेदक द्वारा रसीद संख्या 12 पुस्तक संख्या 01 द्वारा रूपये 1000/– रूपये (अखरे रूपये मात्र एक हजार रूपये) निविदा शुल्क के रूप में द्वारा जमा करवाये गये थे। उक्त कार्यादेश के उपरान्त प्रार्थी द्वारा कार्यादेश का पालन करते हुए फोटो स्टेट कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें 2550/– फोटो स्टेट की प्रतियां कार्यादेश के अनुसार निर्धारित दर 44 पैसा (0.44 रूपये) से की गई, जिसका अभुगतानित बिल 1122/–(अखये एक हजार एक सौ रूपये मात्र) है। उक्त नगरपालिका घड़साना राज्य सरकार के आदेश से पुनः ग्राम पंचायत 24 एएस(सी) नई मण्डी घड़साना में तब्दील हो गई। ज्ञात रहे उक्त ग्राम पंचायत पूर्व सरकार के आदेश से नगरपालिका में क्रमोन्नत हुइ थी। उक्त में आवेदक को न तो उक्त बिल के संदर्भ में भुगतान हुआ और न ही अमानत राशि का भुगतान आज दिनांक तक हुआ। समस्त दोनों रसीदें एवं कार्यादेश प्रार्थी द्वारा स्वयं द्वारा प्रमाणित पेश है। इस संदर्भ में निम्नांकित सूचनाएं प्रमाणित रूप में उपलब्ध करावें।

उक्त प्रकरण में आवेदक को फोटो स्टेट कार्य पेटे जमा, अमानत राशि एवं अभुगतानित राशि को भुगतान हेतु सम्बन्धित विभाग/अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित विवरण उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2019 का सम्बन्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि **शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्रांक एफ4(367) सू.अ. /पंरावि/2020/505 दिनांक 10.07.2020 के अनुसार** इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में **सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्,** अधिकृत है। **इसलिए इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील यहां से खारिज जाती है। प्रार्थी यदि चाहे तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।**

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति** विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:35 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर